ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

23/म.प्र.-वि.स./2018 दिनांक: 03 जून, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषय: मध्य प्रदेश में निर्वाचक नामावली में डुप्लीकेट नामों के संबंध में शिकायतों की जांच।

महोदया,

आयोग ने मध्य प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों में कथित त्रुटियों के सम्बन्ध में जांच करने हेतु निम्नलिखित टीम के गठन हेतु आदेश दिए हैं:

1. भोपाल के लिए ईसीआई टीम

   क. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नरेला
   - श्री वी.एन. शुक्ला, निदेशक, आईटी
   - श्री सुमित मुखर्जी, प्रधान सचिव

   ख. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोजपुर
   - श्री अनुज जयपुरियार, प्रधान सचिव
   - श्री विजय कुमार, आईटी

2. नर्मदापुरम (होशंगाबाद) हेतु ईसीआई टीम

   क. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र होशंगाबाद
   - श्री के.एन.भार, प्रधान सचिव
   - श्री सोनल खरबन्दा, आईटी

   ख. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सिवनी-मालवा
   - श्री बी.सी.पात्रा, सचिव
   - श्री अंकित सिंह, आईटी

ये टीमें दिनांक 04 जून, 2018 को विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचेगी।

2. भोपाल और नर्मदापुरम (होशंगाबाद) डिवीज़न के डिवीजनल आयुक्त संबंधित डिवीजनों के लिए नामावली प्रेक्षकों के रूप में कार्य करेंगे और संबंधित डीईओ तथा ईआरओ को इस जांच में ईसीआई टीमों को सहायता करने के लिए निदेश देंगे।

3. टीम को निर्दिष्ट टीओआर (सन्दर्भ शर्तें):

क) टीमों को विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में शिकायतों में उठाए गए प्रत्येक विशिष्ट मुद्दे की जांच करना।

(ख) इन निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में निर्वाचक नामावली में जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्ठियों के संबंध में फील्ड सत्यापन (घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना जो राज्य में पहले ही किया जा चुका है) की स्थिति का आकलन करना।

(ग) इस संबंध में राज्य निर्वाचन तंत्र द्वारा पहले से की गई सुधारात्मक कार्रवाईयां, यदि कोई हों तो, की प्रगति का आकलन करना।

(घ) यह पता लगाना कि किस तरह निर्वाचक नामावली में कथित त्रुटियां, यदि कोई हों, आ गई हैं।

(ङ) निर्वाचक नामावली में, कथित नकली/जाली मतदाताओं के नामों, यदि कोई हों, का पता लगाना। यदि ये हैं तो इन्हें हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना और पता लगाना कि ये कैसे हुआ।

(च) यदि किसी जान बूझकर की गई गलती का पता चलता है तो इसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी ताकि उचित कार्रवाई शुरू की जा सके।

(छ) समयबद्ध सुधारक कार्रवाई का सुझाव देना जिसे क्षेत्र/राज्य स्तर पर किया जाना अपेक्षित हो।

(ज) कोई अन्य संबंधित मामले।

4. भोपाल में ईसीआई टीम निर्वाचक नामावली की परिशुद्धता के संबंध में राज्य में पहले से की गई कार्रवाईयों का आकलन करेगी।

ये टीमें संबंधित उप निर्वाचन आयुक्त को दैनिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। आयोग को अन्तिम रिपोर्ट 07 जून, 2018 तक प्रस्तुत की जाएगी।

भवदीय,

ह0/-

(अनुज जयपुरियार)

प्रधान सचिव